



2026:AHC:24069

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1666, वर्ष 2026

राजेश शर्मा एवं 2 अन्य

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : नरेन्द्र श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र श्रीवास्तव और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल को सुना गया।

2. याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि वे सामयिक संग्रह अमीन हैं जो 16.11.1998, 20.11.1997 और 01.12.1997 से कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश संग्रह अमीन सेवा नियमावली, 1974 के अंतर्गत नियमितीकरण के प्रयोजन हेतु राजस्व परिषद का एक आदेश विद्यमान है और आयु सीमा में छूट पर भी राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाना है।

3. वर्तमान याचिका में प्रतिवादियों को दावे पर विचार करने हेतु निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।

4. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ताओं के दावे का न्यायनिर्णयन प्रथम दृष्टया तृतीय प्रतिवादी, जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा किया जाना आवश्यक है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. ऐसे निवेदन पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

6. विरोधी पक्षों के तर्कों के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ निस्तारित किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता तृतीय प्रतिवादी के समक्ष याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। उक्त प्रतिवादी, दो सप्ताह के भीतर प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार कड़ाई से याचिकाकर्ताओं के दावे पर निर्णय लेने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। यदि तृतीय प्रतिवादी का यह मत है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो वे संबंधित दस्तावेज उन्हें प्रेषित कर देंगे।

7. यह उल्लेख करना आवश्यक है कि याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश के पारित होने का अर्थ यह न लगाया जाए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई विचार किया है।

8. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

4 फरवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास)

बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"